[illegible] निर्णय को जाती है। पत्रावली पुनः आदेश। वास्ते [illegible]
दिनांक 12.7.18 को पेश हो। [signature]

12.7.18 वादी अधिवक्ता उप०। वादी का वाद निर्णीत किया जाना है।
निर्णय पृथक से उद्घोषित किया जाकर खारिज प्रमाणित किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] में करना है
[illegible] बाद तकमील जिल्द [illegible] दाखिल हो। [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 127/18 निर्णय दिनांक 12/7/18
दायर दिनांक 05.06.2018

उनवान

1. रोहताश पुत्र दुलीचन्द
2. रामकिशोर पुत्र दुलीचन्द
3. प्रताप पुत्र हरफूल जाति अहीर निवासीयान गुरगचका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर(राज0)

–वादिगण

बनाम

1. श्रीया पुत्र जीता जाति अहीर निवासीयान गुरगचका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0 –असल प्रतिवादीगण

3. भूप सिंह पुत्र दुलीचन्द
4. जसवन्त पुत्र बहादर सिंह
5. चम्पा पत्नी बहादर सिंह
6. संदीप
7. कर्मवीर
8. रणवीर पुत्रांन ताराचन्द
9. चन्द्रकला पत्नी ताराचन्द
10. सुनील पुत्र हरफूल
11. रामप्यारी पत्नी हरफूल
12. यादराम पुत्र लेखा
13. विकास पुत्र नरेश
14. संध्या कुमारी पुत्री नरेश
15. चन्द्रकला पत्नी हरिराम
16. मानसिंह
17. गजानन्द पुत्रांन रामौतार
18. सरीता
19. कुसुम पुत्रीयान रामौतार
20. रामादेवी पत्नी रामौतार
21. हनुमान पुत्र हरदयाल
22. केशर पत्नी रामकिशन
23. सोनू पुत्र रामकिशन
24. सविता
25. रामभुतेरी पुत्रीयान रामकिशन जाति अहीर निवासी गुरगचका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

--तर0 प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा इस्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज
व हुकमइतनाई दवामी अन्तर्गत
धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री कृष्ण कुमार यादव अभिभाषक वादीगण

वादीगण ने मय अभिभाषक दावा पत्र प्रस्तुत कर मजकूर निवेदन किया कि वाके ग्राम गुरगचका आराजी नम्बर 304 रकबा 0.05 हैक्टर, 337 रकबा 0.05 है0, 84 रकबा 0.05 हैक्टर, 305, रकबा 0.05 है0, 306 रकबा 0.05 है0, 336 रकबा 0.05 है0, 337 रकबा 0.05 है0, 84 रकबा 0.05 है0 85 रकबा 0.05 है0, 86 रकबा 0.16 हैक्टर 513 रकबा 0.16 हैक्टर जो जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में दर्ज है। यह आराजी हम वादीगण, प्रतिवादी संख्या–1 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण स्व0 श्री तेजाराम की पैत्रक सम्पत्ति थी जो हमारे दादाजी थे। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दीयात में कर्मचारियान व अधिकारियान द्वारा गलती से असल प्रतिवादी संख्या–1 का श्रीया पुत्र जीता के नाम अमल कर दिया गया जबकि मृतक तेजाराम की विरासत के अनुसार हम वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण तथा असल प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग का राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दीयात में अमल होना चाहिए था। मौके पर हम पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार शान्ति पूर्वक अपने पिता व दादा के जीवनकाल से ही काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। हम वादीगण एवं असल प्रतिवादी को विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी की आवश्यकता माह अप्रेल 2018 में होने पर मिन वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ने पटवारी हलका से सम्पर्क कर जमाबन्दीयात प्राप्त करना चाहा तो पटवारी द्वारा केवल असल प्रतिवादी संख्या'–1 के नाम का अमल दरामद होना बताया। जिस पर हमने नकले राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त की और इस गलत अमल को दुरूस्त कराने हेतु प्रतिवादी संख्या–1 से कहा तो टालमटोल करता रहा एवं दिनांक 30/05/2018 को असल प्रतिवादी संख्या–1 ने इस गलत अमल को दुरूस्त कराने बाबत साफ तोर पर इन्कार करते हुए विवादित आराजी से हमें जबरन बेदखल कर कब्जा करने व दीगर जगह बेचान आदि करने की ऐलानिया तोर पर धमकी दी है। विवादित आराजी मृतक तेजराम हमारे दादा व परदादा की कब्जा काश्त की आराजी है, हम वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादी संख्या–1 विवादीत आराजी के बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार मालिक हैं लेकिन असल प्रतिवादी संख्या–1 के नाम गलत अमल होने के कारण हमे अपने अधिकारो से महरूम होना पड जावेगा। हम वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। अपने अधिकारो की रक्षार्थ वादीगण व तर0 प्रति0 विवादीत आराजी में जो असल प्रतिवादी अकेले के नाम का गलत तोर पर अमल दरामद हो रहा है को हम कलमजन करा अपने–अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करार दिलाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम खातेदारी हक का आमलदरामद कराने के अधिकारी है।

अतः दावा बहक वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण विरूद्व असल प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि वाके ग्राम गुरगचका हाल आराजी नम्बर 304/0.05, 305/0.05, 306/0.05, 336/0.05, 337/0.05, 84/0.05, 85/0.05, 86/0.16, 513/0.16 हैक्टर मुताबिक हिस्सा मृतक तेजाराम के वारिसान हम वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हमारे हिस्से तक प्रतिवादी संख्या–1 के नाम को [illegible] किया जाकर हम वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम का अमल प्रतिवादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के साथ का असल प्रतिवादी संख्या–1 के नाम के साथ कराया जावे तथा प्रतिवादी संख्या–1 को पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजीयात काश्त वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त [illegible] [illegible] में असल प्रतिवादी संख्या–1

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

मजाहमत मदाखलत ना करे ना रहन बय आदि से मुन्तकिल करे, राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथावत स्थिति कायम रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों की जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन लेने से इन्कार किया जाने से इसके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही के आदेश दिये गये। तरतीबी प्रतिवादीगण ने मय अभिभाषक उपस्थित होकर इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या–2 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) ने अपने जवाब में कोई राज्य हित नही होना बताया।

अभिभाषक वादी की एक पक्षिय बहस सुनी गई। अभिभाषक ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कहां कि विवादीत आराजी तेजा की थी जो विरासत से इसके पुत्रान मुकन्दा, लेखा, जीता के नाम इन्तकाल दर्ज हुआ लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अकेले जीता के नाम दर्ज कर दी जो गलत रूप से दर्ज की है जबकि इन्तकाल मुताबिक तीनो के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। तेजा का सजरा इस प्रकार है–

1. मुकन्दा (फौत)– दुलीचन्द पुत्र (फौत), हरफूल पुत्र (फौत)

(क) दुलीचन्द के –रोहताश पुत्र, रामकिशोर पुत्र, भूपसिंह पुत्र, बहादर पुत्र (फौत)

बहादर के –जसवन्त पुत्र, चम्पा पत्नी

(ख) हरफूल के– ताराचन्द पुत्र (फौत), प्रताप पुत्र, सुनील पुत्र रामप्यारी पत्नी

ताराचन्द के– संदीप पुत्र, कर्मबीर पुत्र, रणवीर पुत्र चन्द्रकला पत्नी

2. लेखा के– हरदयाल पुत्र (फौत), हरिराम पुत्र (फौत), यादराम

(क) हरदयाल के–हनुमान पुत्र , रामौतार पुत्र (फौत), रामकिशन पुत्र (फौत)

रामौतार के – मानसिंह पुत्र, गजानन्द पुत्र सरीता पुत्री, कुसुम पुत्री, रामादेवी पत्नी

रामकिशन के– केशर पत्नी, सोनु पुत्र, सविता पुत्री, रामभुतेरी पुत्री

(ख) हरिराम के –चन्द्रकला पत्नी नरेश पुत्र (फौत)

नरेश के – विकास पुत्र , संध्या पुत्री

3. जीता के–श्रीया

उक्त सभी वाद मे वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं असल प्रतिवादी संख्या–1 है। विवादीत आराजी नम्बर 87, 85, 86, 304, 305, 306, 336, 337 मे 1/30 हिस्सा व आराजी नम्बर 513 में 1/8 हिस्सा अकेले असल प्रतिवादी श्रीया के नाम गलत अंकन किया है जो कलमजन किया जाकर हिस्सा मुताबिक उक्त समस्त वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं असल प्रतिवादी संख्या–1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती कराई जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया।

इन्तकाल संख्या 76 दिनाक 14.03.1945 के द्वारा साबिक नम्बरान जो तेजा पुत्र मोती के नाम से दर्ज थे उसकी विरासत जीता, मुकन्दा, लेखा के हक मे स्वीकार हुई है लेकिन वर्तमान मे हाल नम्बर 84, 85, 86, 304, 305, 306, 336, 337 कायम कर 1/30 हिस्सा व आराजी नम्बर 513 कायम कर 1/8 हिस्सा अकेले श्रीया जो असल प्रतिवादी संख्या–1 है के नाम दर्ज किया गया है जो दुरूस्त होकर उक्त सभी के नाम हिस्से मुताबिक दर्ज रिकॉर्ड होना चाहिए।

अतः वादीगण का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम गुसाईसर हाल आराजी नम्बर 84/0.05, 85/0.05, 86/0.16, 304/0.05, 305/0.05, 306/0.05, 336/0.05, 337/0.05, हैक्टर के 1/30 हिस्सा व आराजी नम्बर 513 रकबा 0.15 हैक्टर से असल प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

संख्या–1 का नाम अमलजन किया जाकर इस हिस्से में वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं असल प्रतिवादी संख्या–1 खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है

पक्षकारान	आराजी नम्बर 84/0.05, 85/0.05, 86/0.16, 304/0.05, 305/0.05, 306/0.05, 336/0.05, 337/0.05	आराजी नम्बर 513/0.15 हैक्टर
वादी संख्या 1, 2 –तरतीबी प्रतिवादी संख्या–3	1/240 हिस्सा	1/64 हिस्सा
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–4, 5	1/720	1/192
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–6, 7, 8, 9	1/720	1/192
–वादी संख्या–3 –तरतीबी प्रतिवादी संख्या–10, 11	1/240	1/64
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–12	1/270	1/72
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–13, 14	1/540	1/144
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–15	1/540	1/144
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–16, 17, 18,19 ,20	1/810	1/216
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–21	1/810	1/216
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–22, 23, 24, 25	1/810	1/216
– प्रतिवादी संख्या–1	1/90	1/24

उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 12/7/18 को टंकित किया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
कोटकासिम (अलवर)

(पर्चा डिक्री)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 127 / 18 निर्णय दिनांक 12/7/18
दायर दिनांक 05.06.2018

उनवान

1. रोहताश पुत्र दुलीचन्द
2. रामकिशोर पुत्र दुलीचन्द
3. प्रताप पुत्र हरफूल जाति अहीर निवासीयान गुरगचका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर(राज0)

–वादिगण

बनाम

1. श्रीया पुत्र जीता जाति अहीर निवासीयान गुरगचका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0 –असल प्रतिवादीगण
3. भूप सिंह पुत्र दुलीचन्द
4. जसवन्त पुत्र बहादर सिंह
5. चम्पा पत्नी बहादर सिंह
6. संदीप
7. कर्मवीर
8. रणवीर पुत्रांन ताराचन्द
9. चन्द्रकला पत्नी ताराचन्द
10. सुनील पुत्र हरफूल
11. रामप्यारी पत्नी हरफूल
12. यादराम पुत्र लेखा
13. विकास पुत्र नरेश
14. संध्या कुमारी पुत्री नरेश
15. चन्द्रकला पत्नी हरिराम
16. मानसिंह
17. गजानन्द पुत्रांन रामौतार
18. सरीता
19. कुसुम पुत्रीयान रामौतार
20. रामादेवी पत्नी रामौतार
21. हनुमान पुत्र हरदयाल
22. केशर पत्नी रामकिशन
23. सोनू पुत्र रामकिशन

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

24. सविता
25. रामभुतेरी पुत्रीयान रामकिशन जाति अहीर निवासी गुरनावका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

– सर0 प्रतिवादीगण

दावा इस्तकार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज
व हुकमइतनाई दवामी अन्तर्गत
धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री कृष्ण कुमार यादव अभिभाषक वादीगण

अतः वादीगण का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम गुरनावका हाल आराजी नम्बर 84/0.05, 85/0.05, 86/0.16, 304/0.05, 305/0.05, 306/0.05, 336/0.05, 337/0.05, हैक्टर के 1/30 हिस्सा व आराजी नम्बर 513 रकबा 0.15 हैक्टर से असल प्रतिवादी संख्या–1 का नाम अमलजाम किया जाकर इस हिस्से में वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं असल प्रतिवादी संख्या–1 खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है

पक्षकारान	आराजी नम्बर 84/0.05, 85/0.05 86/0.16, 304/0.05, 305/0.05, 306/0.05, 336/0.05, 337/0.05	आराजी नम्बर 513/0.15 हैक्टर
वादी संख्या 1, 2 –तरतीबी प्रतिवादी संख्या–3	1/240 हिस्सा	1/64 हिस्सा
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–4, 5	1/720	1/192
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–6, 7, 8, 9	1/720	1/192
–वादी संख्या–3 –तरतीबी प्रतिवादी संख्या–10, 11	1/240	1/64
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–12	1/270	1/72
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–13, 14	1/540	1/144
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–15	1/540	1/144
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–16, 17, 18,19 ,20	1/810	1/216
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–21	1/810	1/216
–तरतीबी प्रतिवादी संख्या–22, 23, 24, 25	1/810	1/216
– प्रतिवादी संख्या–1	1/90	1/24

उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराम हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की गई ।

निर्णय आज दिनांक 12/7/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0